न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 06/2019

सुनिल कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

शिवदयाल चौपडा पुत्र श्री नन्दाराम चौपडा (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स शिव दयाल चौपडा मावा वाले, चौपडों की ढाणी, मोरीजा, चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/धारा 51 एफएसएस एक्ट, 2006 नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. श्री सुनिल कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रार्थी स्वयं उपस्थित ।
2. श्री उपेन्द्र नायक अभियुक्त के अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 10.03.2021**

यह परिवाद सुनिल कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 03.11.2018 को मैसर्स शिव दयाल चौपडा मावा वाले, चौपडों की ढाणी, मोरीजा, चौमू, जिला–जयपुर का अभियुक्त शिवदयाल चौपडा की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर 35 किलोग्राम मावा एक ट्रे में आम जनता को विक्रय करने के लिए तैयार कर रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–3633 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावे की कीमत अंके रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) मौके पर उपस्थित शिवदयाल चौपडा से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावें की जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावे को अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

के आदेश दिनांक 10.08.2011 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्स शिव दयाल चौपडा मावा वाले, चौपडों की ढाणी, मोरीजा, चौमू, जिला–जयपुर के यहा पर निरीक्षण हेतु पंहुचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में 35 किलोग्राम मावा एक ट्रे में आम जनता को विक्रय करने हेतु तैयार कर रखा गया था। जिनमें मिलावट का शक होने पर 1 किलोग्राम मावा साफ सूखे खाली बर्तन में क्रय किया तथा क्रय किये गये मावें को अलग–अलग साफ सूखे खाली चार जार दिखाकर खरीदशुदा मावें को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर जारों को ढक्कन सील बंद कर चार नमूना भाग तैयार किये गये जिन्हे मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/2080/एक्ट/2018/20 दिनांक 02.01.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

हमनें अभियुक्त के अभिभाषक की बहस सुनी। अभियुक्त के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में दिनांक 03.02.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कर दिया गया था कि वादग्रस्त मामले में अभियुक्त/प्रार्थी को झूठा फसाया गया है। अभियुक्त के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अभियुक्त द्वारा पूर्ण शुद्धता के साथ मावा तैयार किया जाता है। उनके द्वारा दूध क्रय करके मावा तैयार किया जाता है। क्रय किया गया दूध मिक्स दूध अर्थात् बकरी, गाय, भैंस आदि का मिक्स दूध होता है, जिनसे मावा तैयार किया जाता है उनके द्वारा क्रय किये गये दूध से ही मावा तैयार किया जाता है। जिसमें थोडी बहुत फेट की कमी हो सकती है, परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती। दूध से शुद्ध मावा तैयार किया जाता है। एक्ट में मावे के लिए कोई मानक तय नही है। उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतः प्रकरण खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लघंन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति एवं अधिसूचना सं0 एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.04.2012
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2018 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1 किलोग्राम मावे के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 03.11.2018 को दिये गए केश–मीमो दिनांक 03.11.2019 की प्रति जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।

4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
5. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रति प्राप्ति की रसीद।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.01.2019 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard) होना अंकित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की रत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मावा उपलब्ध था जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित 30 प्रतिशत के स्थान पर 28.31 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये मावे को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुये अभियुक्त के कृत्य के लिये रूपये 10,000 (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 10.03.2021 को सुनाया गया।

10.3.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर